



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०
Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.



पत्रांक : पी०आर०एस०यू० / सम्ब० / अनु० / निरस्त / RA- 4062 / 2024

दिनांक- 16 / 07 / 2024

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अनुमोदित शिक्षकों द्वारा महाविद्यालय से अपना अनुमोदन निरस्त कराए जाने हेतु प्रत्यावेदन/शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रेषित किए गए हैं। प्राप्त प्रत्यावेदनों का परीक्षण किए जाने के उपरान्त उक्त प्रत्यावेदनों/शपथ-पत्रों पर माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय से निरस्त किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है:-

क्र. स.	शिक्षक का नाम व पिता का नाम	महाविद्यालय का नाम	पदनाम व विषय
1	श्री मनीष कुमार द्विवेदी पुत्र श्री विनोद शंकर द्विवेदी	महाविद्यालय डेरवा बाजार प्रतापगढ़, उ०प्र०।	सहा०आचार्य-हिन्दी-यू०जी०
2	श्री अली अहमद पुत्र श्री मजीद अली	मौलवी लियाकत अली डिग्री कालेज, कौशाम्बी।	सहा०आचार्य-हिन्दी साहित्य-यू०जी०
3	श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कंचन राम मौर्या	मैनाथी कुँवर चन्द्रावती डिग्री कालेज, संराय आनादेव, लालगंज, प्रतापगढ़, उ०प्र०।	सहा०आचार्य-वी०एड०
4	प्रो. नरेन्द्र सिंह बैस पुत्र श्री दुलारे सिंह बैस	ठा. युगराज सिंह डिग्री कालेज जी०टी० रोड शान्तीनगर फतेहपुर।	प्राचार्य
5	सुश्री सीमा दुबे पुत्री श्री विजय शंकर पाण्डेय	नारायण महाविद्यालय गधियावाँ, आसपुर देवसरा पट्टी, प्रतापगढ़, उ०प्र०।	सहा०आचार्य-दर्शनशास्त्र-यू०जी०
6	श्री गुफरान अली पुत्र श्री रुस्तम अली	प्रताप कालेज आफ हायर एजुकेशन सिधांव फतेहपुर, उ०प्र०	सहा०आचार्य-रसायन विज्ञान-यू०जी०
7	श्री अशोक कुमार मौर्य पुत्र श्री कृष्ण कुमार मौर्य	बृजराज सिंह गर्ल्स पी०जी० कालेज प्रयागराज।	सहा०आचार्य-समाज शास्त्र

उपर्युक्त तालिका में अंकित समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उनके महाविद्यालय के सम्मुख अंकित शिक्षकों/प्राचार्यों के अनुमोदन निरस्तीकरण पर कोई आपत्ति हो तो 15 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति विश्वविद्यालय के डाक प्राप्ति कक्ष में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आपत्ति न होने की स्थिति में नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय उनके महाविद्यालय के नाम के सम्मुख अंकित शिक्षकों के नाम का प्रयोग आज की तिथि से करना बन्द कर दें तथा उक्त शिक्षक के स्थान पर नये शिक्षक का अनुमोदन निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए विश्वविद्यालय से प्राप्त करें एवं नये

